संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नई दुनिया–पृष्ठ .5.....दिनांक.3...7.......2021

पाइप लाइन फूटने से बेकार बह रहा पीने का पानी

3-7-2021

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के वार्ड नंबर 46 मराठों के वास फतह मस्जिद के सामने पेयजल सप्लाई की पाइप लाइन फूटने से हजारों लीटर पीने बेकार बह रहा है। नगर निगम के जल विभाग को कई बार सूचना देने के बाद एक महीने से सुधार नहीं हो रहा है। एक माह से पानी बह रहा है। इसी तरह शहर में और भी कई स्थान हैं, जहां पानी व्यर्थ बह रहा है।

पूर्व पार्षद प्रतिनिधि इक्का बैलूत ने बताया कि पाइप लाइन सुधारने की बजाय सुधार की झूठी जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। इक्का बैलूत ने मांग किया है कि पाइप लाइन में सुधार कराया जाए। नगर निगम आयुक्त अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट की क्रॉस चेकिंग करें ताकि जन सुविधाओं पर ईमानदारी से काम हो।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ 5......दिनांक...9-1......2021

527 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 7 जनवरी तक 527 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 7 जनवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 527 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 7 जनवरी को दो बत्ती व दीनदयाल नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये। शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहे को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी। नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा। स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– दै. भास्कर –पृष्ठ 8.....दिनांक...9-1.......2021

स्विट्जरलैंड से रतलाम आए युवक की नहीं मिली रिपोर्ट, रैपिड एंटीजन में 2 संक्रमित

आरटी-पीसीआर से सैंपलों की जांच रुकी... 689 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग

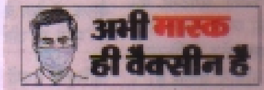

भास्कर संवाददाता | रतलाम

9-1-2021

जिले में आरटी-पीसीआर से सैंपलों की जांच रुक गई है। रैपिड एंटीजन किट से ही जांच हो रही है, इससे दो दिन से नाम मात्र के ही पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इधर, स्विट्जरलैंड से रतलाम आए युवक का सैंपल जांच के लिए उज्जैन भेजा गया है। शुक्रवार को रिपोर्ट नहीं मिल सकी।

किट की समस्या होने से मेडिकल कॉलेज में सैंपल की जांच नहीं हो पा रही है। रैपिड एंटीजन से शुक्रवार को सिलावटों का वास की 40 साल की महिला व 23 साल के युवक पॉजिटिव आए। 689 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग हो चुकी है। कुछ सैंपल उज्जैन भी भेजे गए हैं। जिनकी रिपोर्ट शनिवार तक आ सकती है।

युवक क्वॉरेंटाइन – स्विट्जरलैंड से आए एक युवक की रिपोर्ट का इंतजार है। यह युवक स्विट्जरलैंड में पॉजिटिव आया था। बेंगलुरु में रिपोर्ट नेगेटिव मिली थी। युवक मेडिकल कॉलेज में क्वॉरेंटाइन है।

रिकवरी रेट 94 प्रतिशत के ऊपर पहुंचा

इधर अब कोरोना के मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में रिकवरी रेट पर भी अब असर देखने को मिला है। जिले में रिकवरी रेट 94 प्रतिशत के ऊपर पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज में नई किट पहुंचने के बाद जांच बहाल हो सकेगी। जिले में एक्टिव केस भी 200 से कम हो गए हैं। शुक्रवार तक जिले में एक्टिव केस 165 हो गए हैं।

प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 95 व्यक्तियों पर ड्राय वैक्सीन का रिहर्सल

उम्मीद की आशा : पावर्ती को लगा पहला रिहर्सल टीका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 9-1-2021

रतलाम. कोरोना वैक्सीन को लेकर शुक्रवार को रतलाम के तीन केन्द्र मेडिकल कॉलेज, बाल चिकित्सालय और जावरा अस्पताल में ड्राय रन हुआ। पहला ड्राय डो आशा कार्यकर्ता पावर्ती को लगा। कोविड एप पर वैक्सीनेशन के लिए चुने गए 95 व्यक्तियों के सफलतापूर्वक ड्राय रन (रिहर्सल में) वैक्सीनेशन हुआ। इसके आंकड़े 11 बजे बाद ऑनलाइन प्रदर्शित होने लगे। ड्राय रन को देखने के लिए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड व एसपी गौरव तिवारी ने मेडिकल कॉलेज व बाल चिकित्सालय स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचकर जायजा लिया और संबंधित व्यक्तियों और वेक्सीनेशन टीम के अधिकारियों, कर्मचारियों से चर्चा की।

वैक्सीनेशन केंद्र मेडिकल कॉलेज में 41, बाल चिकित्सालय में 24 और सिविल अस्पताल जावरा में 30 अधिकारियों, कर्मचारियों पर ड्राय रन किया गया। इन 3 वैक्सीनेशन केंद्रों पर जिनका वैक्सीनेशन किया जाना था, उनका पूर्व में चयन कर लिया गया था। इसके साथ ही उन्हें वैक्सीनेशन की तारीख, केन्द्र और समय की जानकारी एसएमएस द्वारा दी गई थी। कोविड-19 वैक्सीनेशन के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सुबह 9 बजे से ड्राय रन शुरू किया गया। इसमें वैक्सीनेशन केंद्र पर व्यक्तियों के पहुंचने पर उन्हें प्रतीक्षा कक्ष में बैठाने, वैक्सीनेशन के लिए तैयार करने की व्यवस्था की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हैंडवॉश और मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया।

वैक्सीनेशन कक्ष से वैक्सीनेट होने के बाद आए व्यक्ति को आब्जरवेशन रूम में रखा गया। इस रूम में सभी व्यक्तियों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ 30 मिनट तक रोका गया। ऑब्जरवेशन रूम में चिकित्सकों का स्टॉफ ऐसी सभी औषधियों के साथ मौजूद रहा, जिनसे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट कंट्रोल किया जा सकता था। आधा घंटा पूरा होने के बाद वैक्सीनेट किए गए व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ्य और घर जाने के लिए तैयार थे। उनके मोबाइल पर एक संदेश, आपको कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज 8 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक किए जाने की जानकारी दी गई। यह संदेश कोविन एप पर भी प्रदर्शित हो रहा है। कलेक्टर ने टीकाकरण के विषय में सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। केंद्र पर डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. शशि गांधी, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील, डॉ ध्रुवेंद्र पांडे, डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, डीपीएम डॉ. अजहर अली, डब्ल्यू एचओ के जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. रितेश बजाज, डॉ. प्रमोद प्रजापति, डॉ. गौरव बोरीवाल, लोकेश वैष्णव, नईम खान, सैयद अली, निलेश चौहान सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्ट्रीट वेंडर योजना के 500 प्रकरण बैंकों में अटके

बैंक अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए ऋण वितरण करने के निर्देश

9-1-2021

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पीएम स्वनिधि और स्ट्रीट वेंडर योजनाएं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाएं हैं। इनमें बैंकर प्रकरणों की स्वीकृति और वितरण में देरी नहीं करें। यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने शुक्रवार को संपन्न बैंकों के जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राकेश गर्ग, उपसंचालक कृषि जीएस मोहनिया तथा अन्य अधिकारी एवं बैंकर्स मौजूद थे।

बताया गया कि स्ट्रीट वेंडर शहरी योजना के तहत लगभग 6000 में से 4765 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। 4267 प्रकरणों में वितरण की कार्रवाई की गई है। करीब 500 प्रकरणों में बैंकों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा सभी बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण कर आगामी तीन दिवस में स्वीकृति की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार ग्रामीण स्टेट वेंडर योजना में लगभग 5000 प्रकरण बैंकों में लगाए गए हैं। इनमें से 1983 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है। बताया गया कि 800 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें स्वीकृति की कार्रवाई बैंकों द्वारा नहीं की गई। 339 प्रकरणों में स्वीकृति के बाद वितरण नहीं हुआ है। लेतलाली बरतने वाली बैंकों में इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा सेंट्रल बैंक सम्मिलित है।

बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड। • नईदुनिया

समीक्षा

- **बैंकों के जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित**
- **339 प्रकरणों में स्वीकृति के बाद वितरण नहीं हुआ**

फसल बीमा का प्रीमियम लिया, कंपनी को नहीं दिया : कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से योजना की विशेष रूप से मानीटरिंग की जाती है, जहां से प्रदेश में रेंडमली किसी भी हितग्राही को फोन लगाकर जानकारी ली जाती है। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बताया गया कि कई बैंकों में प्रीमियम ले लिया गया, लेकिन कंपनी को नहीं पहुंचाया गया है। इस कारण से किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। कलेक्टर ने कहा कि यह अपराध है, बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्व निधि योजना की जानकारी में बताया गया कि उक्त योजना में डिजिटल ट्रेनिंग के लिए बैंकों से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नियुक्ति कार्य 29 जनवरी तक किया जाना है।

कर्ज के 500 प्रकरणों में बैंकों ने नहीं की कोई कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

9-1-2021

स्ट्रीट वेंडर शहरी योजना के तहत लगभग 6000 प्रकरणों में से 4765 प्रकरण मंजूर किए हैं। इनमें से 4267 प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्रवाई हो चुकी, जबकि 500 मामले बैंकों में पेंडिंग है। शुक्रवार को जिला स्तरीय बैठक में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने सभी प्रकरण निपटाने के लिए बैंकों को तीन दिन का समय दिया है। ग्रामीण स्टेट वेंडर योजना में लगभग 5000 प्रकरण बैंकों में लगाए गए हैं। 1983 प्रकरणों में स्वीकृति हो गई है। 800 ऐसे प्रकरणों में बैंकों ने कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार 339 प्रकरण मंजूर होने के बावजूद ऋण वितरण नहीं हुआ है। यह लापरवाही करने वाली बैंकों में इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा सेंट्रल बैंक शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में डिजिटल ट्रेनिंग के लिए बैंकों से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं।

दैनिक भास्कर 9-1-2021

जिला स्तरीय बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

योजना के प्रकरणों की स्वीकृति व वितरण में न हो देरी

9-1-2021

रतलाम @ पत्रिका. पीएम स्वनिधी और स्ट्रीट वेंडर योजनाएं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाएं हैं, इनमें बैंकर प्रकरणों की स्वीकृति और वितरण में देरी नही करें। यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने शुक्रवार को बैंकों के जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक में दिए। इसमें बताया कि स्ट्रीट वेंडर शहरी योजना के तहत लगभग 6000 प्रकरणों में से 4765 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार 4267 प्रकरणों में वितरण की कार्रवाई की गई है, करीब 500 प्रकरणों में बैंकों द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई है।

कलेक्टर द्वारा सभी बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण किया जाकर आगामी तीन दिवस में स्वीकृति की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार ग्रामीण स्टेट वेंडर योजना में लगभग 5000 प्रकरण बैंकों में लगाए गए हैं, इनमें से 1983 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है। बताया गया कि 800 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकती है जो बैंकों द्वारा नही की गई। इसी प्रकार 339 प्रकरणों में स्वीकृति के बाद वितरण नही हुआ है। लेतलाली बरतने वाली बैंको में इलाहबाद बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा सेंट्रल बैंक सम्मिलित है।

पत्रिका 9-1-2021

सीएम के आने से पहले बनेगा अगले 5 साल का प्लान

पत्रिका सोशल वैल्यू

सीएम ने तीन घंटे तक कलेक्टर व आयुक्त से की वीसी से बात

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 9-1-2021

रतलाम. जिले का नसीब खुलकर अब भाग्य ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो रहा है। इसके लिए अगले पांच साल तक क्या जरुरत है, कितना विकास किया जा सकता है, कितना शहर बढ़ेगा इसको लेकर रोडमैप बनने की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इसके लिए शुक्रवार को करीब 4 घंटे तक वीसी पर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से बात की है। इस दौरान अगले तीन दिन में पूरी योजना बनाने को कहा गया है। सीएम चौहान आगामी 27 जनवरी को इसके लिए रतलाम आएंगे।

विजन 2025-2026 को लेकर अब रतलाम को तैयार रहना होगा। आज की जरुरत छोड़कर अब अगले पांच वर्ष के लिए योजना का खाका तैयार होगा। इसमे संभावित बढ़ने वाली जनसंख्या के अनुसार पूरा प्लान नगर निगम बनाएगी। इसके अलावा आधारभूत संरचना को विकसीत किस तरह किया जा सकता है इसको पूरा करने के लिए भी अब अधिकारी मशक्कत करेंगे। इसके लिए अब कागजी योजना को अगले तीन दिन में तैयार करना होगा। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री चौहान ने वीसी में यह साफ कह दिया कि जो अधिकारी काम समय सीमा में नहीं करे, उनके नाम बता देना, भोपाल बुलवा लिया जाएगा।

यह शामिल किया जाएगा विजन में

वीसी में बैठे अधिकारियों के अनुसार शहर की बात करें तो उन सभी योजनाओं के बारे में बात की गई है जो शहर के लिए व जिले के लिए अगले पांच वर्ष में जरूरी है। इसमे चौड़ी सड़क, स्वच्छता वाली सड़क, बगिचे, औद्योगिक विकास, मजबूत आधारभूत सरंचना आदि शामिल है। अब नगर निगम के इंजीनयर सोमवार तक इसके लिए योजना बनाएंगे। इसके बाद इस योजना को भोपाल भेजा जाएगा। इसके पूर्व शहर विधायक चैतन्य काश्यप के साथ मिलकर इस योजना को अंतिम रुप दिया जाएगा।

अगले पांच साल के विजन प्लान को लेकर मुख्यमंत्री ने वीसी की है। 27 जनवरी को संभावित रुप से वे रतलाम आ रहे है। इसके पूर्व विजन का प्लान मंगवाया गया है जो अगले दो से तीन दिन में तैयार हो जाएगा। इसको लेकर हमारी तैयारी अभी से शुरु हो गई है। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार……–पृष्ठ ……दिनांक 3-1-2021

गंदगी फैलाने पर 30 व्यक्तियों पर जुर्माना

3-1-2021

रतलाम। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सुरेन्द्र शर्मा स्टेशन रोड, न्यू सिद्धार्थ, अमजा, न्यू रतनदीप, मास्टर, सुजानमल, जीतू भाई, न्यू रिलीफ फर्नीचर, अम्बिका, छत्रीपुल, रमेश मईडा पावर हाउस रोड, शीतल ट्रेडर्स, उज्जवल चौहान धानमण्डी पर 500-500, प्रेम कोर्ट तिराहा, शिवम् धानमण्डी पर 250, इरफान छत्रीपुल पर 200, मनोहर, डी.एस. राठौर, बंशी प्रजापत, मनीष कटारिया, श्याम सिंह, वसीम, नवाब, राजपाल महू रोड बस स्टैण्ड, अशोक चौहान, विकास जाटव पावर हाउस रोड, शिवम् राठौर, पुजा पाव भाजी, उपेन्द्र दो बत्ती पर 100-100, करण-मोहित पर 50 रूपये का जुर्माना किया गया।

गंदगी फैलाने पर 30 व्यक्तियों पर जुर्माना

3-1-2021

रतलाम। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सुरेन्द्र शर्मा स्टेशन रोड, न्यू सिद्धार्थ, अमजा, न्यू रतनदीप, मास्टर, सुजानमल, जीतू भाई, न्यू रिलीफ फर्नीचर, अम्बिका, छत्रीपुल, रमेश मईडा पावर हाउस रोड, शीतल ट्रेडर्स, उज्जवल चौहान धानमण्डी पर 500-500, प्रेम कोर्ट तिराहा, शिवम धानमण्डी पर 250, इरफान छत्रीपुल पर 200, मनोहर, डी.एस. राठौर, बंशी प्रजापत, मनीष कटारिया, श्याम सिंह, राठौर, पुजा पाव भाजी, उपेन्द्र दो बत्ती पर 100-100, करण-मोहित पर 50 रुपए का जुर्माना किया गया।

3-1-2021

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका––––––पृष्ठ 1......दिनांक..9...1......2021

गंदगी फैलाने पर 17 पर जुर्माना

पत्रिका 9-1-21

रतलाम. नगर निगम ने आलीशान, अनुपम, अंकित, प्रवीण, मुकेश, विराली ट्रेडर्स माणक चौक, सेवक शू स्टोर, एनआईशू स्टोर दिल बहार चौराहा पर 500-500, निखिल एजेन्सी, श्री साईनाथ एजेन्सी माणक चौक पर 300-300, अरिहन्त, मारुती इन्टर प्राईजेस माणक चौक, संगम मोबाईल स्टेशन रोड, जुबेर खान कृषि उपज मण्डी पर, श्रीपाल एजेन्सी माणक चौक, अकरम खान कृषि उपज मण्डी पर जुर्माना किया।